राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–6)

क्रमांक प. 14(40)ग्रा.वि./अनु.6/MLALAD/2015/9980-10082
जयपुर, दिनांक 05 SEP 2018

"विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम" परिपत्र

विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु जारी दिशा–निर्देशों के क्रियान्वयन हेतु विभाग द्वारा प्रचलित दिशा–निर्देशों के संलग्न अनुमत कार्यों की सूची परिशिष्ठ–1 में क्रम संख्या 13 (य) निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :–

13 (य) 1 विशेषयोग्यजन हेतु तिपहिया साईकिल (मैनुअल/बैटरी संचालित/मोटरयुक्त), व्हीलचेयर (बैटरी संचालित/मोटरयुक्त), स्कूटर/स्कूटी (दो अतिरिक्त पहियों के साथ) एवं अन्य उपकरण अनुमत होंगे। बशर्ते लाभार्थी द्वारा पूर्व में किसी राज्य/केन्द्रीय योजना/सार्वजनिक उपक्रम द्वारा राजकीय निधि से यह लाभ प्राप्त नहीं किया गया हो। ये राजकीय विभागों एवं पंजीकृत व राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठित गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से शिविरों में वितरित किये जायेंगे। गैर सरकारी संस्थाओं के प्रकरण में दिशा–निर्देशों के बिन्दु संख्या 3.8(द) के अनुसार 30 प्रतिशत सहयोग राशि ली जायेगी।

2 स्कूटर/स्कूटी (दो अतिरिक्त पहियों के साथ) की अधिकतम लागत रू. 70000/– प्रति वाहन होगी तथा यह पूर्व में संबंधित विशेष योग्यजनों को तिपहिया साईकिल उपलब्ध कराये जाने की स्थिति में भी देय होगी।

(राजेश्वर सिंह)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर ।
2. प्रमुख सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर ।
3. विशिष्ट सहायक, मा.मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज., जयपुर ।
4. विशिष्ट सहायक, मा.राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज., जयपुर ।
5. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर ।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव,/शासन सचिव, वित्त/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/ग्रामीण विकास एवं पं. राज/जन स्वा.अभि./आयोजना/जनजाति क्षेत्रीय विकास/ जल–संसाधन/वन/आपदा प्रबंधन एवं सहायता/पंचायती राज विभाग,राज.जयपुर।
7. निदेशक, जन सम्पर्क विभाग, राज. जयपुर।
8. संभागीय आयुक्त, समस्त।
9. जिला कलक्टर, समस्त (राजस्थान)।
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त (राजस्थान) को उक्त परिपत्र की एक–एक प्रति अपने जिले के संबंधित मा.विधायकगण को उपलब्ध कराने हेतु।
11. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास को info-rdprd@nic.in पर प्रेषित कर लेख है कि परिपत्र को विभागीय वेब साईट पर अपलोड करवाने की व्यवस्था करावें।

5/9/18

(पुष्कर राज शर्मा)
परि.निदेशक एवं पदेन
उप सचिव (एस.ए.पी–I)